परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 18 जून, 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	14 अप्रैल, 15

परियोजना का नाम	दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक संयोजकता सड़क सम्पर्क निवेश कार्यक्रम – किश्त 1
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	47341-002
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

सेक्टर	परिवहन
उपसेक्टर	सड़क परिवहन (गैर–शहरी)
रणनीतिक कार्यमदें	समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी) क्षेत्रीय एकीकरण (आरसीआई)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण संवर्ग	संवर्ग 3: कुछ लैंगिक तत्व (एसजीई)

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रीति	अनुमोदन संख्या	निधीयन का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार डालर)
ऋण	3118	साधारण पूंजी संसाधन	300,000
–	–	प्रतिपक्ष	124,800
योग			**US$ 424,800**

सुरक्षोपाय संवर्ग

सुरक्षोपाय संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

पर्यावरण	A
अस्वैच्छिक पुनर्वास	A
स्वदेशी लोग	C

पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं का सारांश

पर्यावरण पहलू

किश्त 1 को पर्यावरण के संबंध में संवर्ग क में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि एक उपपरियोजना सड़क महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास क्षेत्रों वाले राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है। एशियन हाइवे 2 तथा एशियन हाइवे 48 दोनों के लिए एक समेकित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तैयार किया गया है। प्रारूप ईआईए 9 अगस्त, 2013 को एडीबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। पर्यावरण सुरक्षोपाय अपेक्षाओं का पालन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधानों तथा अनुवर्ती उपपरियोजनाओं में सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य के प्रावधानों के अनुसार करने के लिए एक पर्यावरण आकलन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क (ईएआरएफ) तैयार किया गया था।

दो परियोजनाओं के पूर्वानुमानित अपरिहार्य प्रमुख पर्यावरण प्रभावों में वन्यजीवों के भ्रमण मार्गों की अव्यवस्था, वन्यजीवों की अव्यवस्था तथा बड़ी संख्या में वृक्षो का हटाया जाना शामिल है। इन प्रभावों को संबोधित करने के लिए तथा जैवविविधता को कोई हानि नहीं होनी सुनिश्चित करने के लिए उपपरियाजना डिजाइनों में उपशमन तथा पर्यावरण संवर्द्धन उपायों में सड़क के तकनीकी डिजाइन में संशोधन भी शामिल किया गया है। अन्य अपरिहार्य पूर्वानुमानित प्रभावों में सड़क निर्माण से संबंधित विशिष्ट प्रकार के मुद्दे शामिल हैं जैसेकि धूल, शोर, निर्माण स्थल तथा श्रमिक शिविरों से अपशिष्ट निकलना, जल प्रदूषण, पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा, क्षरण तथा गाद जमा होना।

इनके संबोधन हेतु उपशमन उपाय पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल किए गए है, जो ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ईआईए तैयार करने के दौरान प्रभावित व्यक्तियों तथा अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डर्स जैसेकि नेशनल पार्क पदाधिकारी तथा विश्व वन्यजीव कोष के साथ सार्थक परामर्श किया गया है।

प्रभावित व्यक्तियों तथा संबंधित स्टेकहोल्डर्स की चिन्ताओं का निराकरण परियोजना कार्यान्वयन के दौरान, ईआईए में प्रस्तावित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से किया जाता रहेगा।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान, निष्पादन तथा कार्यान्वयन कर रही एजेन्सियों की पर्यावरण क्षमता मजबूत बनाए जाने की जरूरत होगी। निष्पादक एजेन्सी स्तर पर, पर्यावरण सुरक्षोपायों हेतु एक प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति तथा कार्यान्वयन एजेन्सी तथा/अथवा पीआईयू स्तर पर एक पर्यावरण फोकल व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। पीआईयू द्वारा पर्यावरण सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की आंतरिक निगरानी तथा आईएससी द्वारा बाहरी निगरानी की जाएगी।

पर्यावरण संवर्ग क तथा ख उपपरियोजनाओं के लिए एक अन्य बाह्य निगरानी एजेन्सी की नियुक्ति तृतीय पक्ष निगरानी के संचालन हेतु की जाएगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा एडीबी की तकनीकी सहायता से एक प्रारंभिक समन्वय–सह–प्रशिक्षण कार्यशाला संचालित की जाएगी। आईएससी अथवा एडीबी परियोजना कार्यान्वयन के दौरान आवश्यकतानुसार ऑन–दि–जॉब प्रशिक्षण संचालित करेंगे।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) के अनुसार किश्त 1 अस्वैच्छिक पुनर्वास के संबंध में संवर्ग क में वर्गीकृत की गई है। भूमि अधिग्रहण तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास की जरूरत न्यूनतम रखने के लिए निवेश कार्यक्रम तैयार किया गया था। एशियन हाइवे 2 तथा एशियन हाइवे 48 के लिए दो संयुक्त पुनर्वास तथा स्वदेशी लोग योजनाएं तैयार की गई हैं। ये एडीबी द्वारा अनुमोदित तथा उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं। कुल मिलाकर 9.05 हेक्टेयर निजी भूमि प्रतिस्थापन लागत पर अर्जित की जाने की जरूरत होगी।

लगभग 4132 परिवार तथा 3578 संरचनाएं प्रभावित होंगी। कुल 489 परिवार भौतिक रूप से विस्थापित होंगे। 1944 परिवारों का आर्थिक विस्थापन तथा 354 परिवारों का भौतिक एवं आर्थिक विस्थापन होगा। ये विस्थापित परिवार भूमि तथा संरचनाओं हेतु प्रतिस्थापन लागत, स्थानांतरण लागत पर क्षतिपूर्ति तथा अन्य आय बहाली सहायता के अधिकारी होंगे। दो सड़कों के संबंध में पुनर्वास की लागत लगभग 12.5 मिलियन डालर होने का अनुमान है।

कार्यान्वयन एजेन्सी तथा/अथवा पीआईयू भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण कार्यान्वयन की अनुभवी हैं। पीआईयू में अनुभवी सामाजिक सुरक्षोपाय कार्मिकों तथा प्रत्येक प्रभावित जिले के पर्यवेक्षण हेतु एक पुनर्वास अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पीआईयू द्वारा, प्रत्येक उपपरियोजना की पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन हेतु एक अनुभवी एनजीओ अनुबंधित किया जाएगा। निवेश कार्यक्रम के लिए एक पुनर्वास फ्रेमवर्क अनुमोदित किया गया तथा एडीबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, जिसके तहत संबंधित निष्पादक एजेन्सी द्वारा प्रत्येक अनुवर्ती उपपरियोजना के लिए एक पुनर्वास योजना, पुनर्वास के प्रभावों सहित, तैयार की जाएगी तथा एडीबी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

स्वदेशी लोग

किश्त 1 स्वदेशी लोगों के संबंध में संवर्ग ग में सूचीबद्ध की गई है। एशियन हाइवे 2 तथा एशियन हाइवे 48 परियोजना क्षेत्रों में कुल 135 देशज परिवार अस्वैच्छिक पुनर्वास से प्रभावित होंगे। जनगणना में पाया गया कि ये परिवार विशिष्ट नहीं हैं क्योंकि वे परियोजना क्षेत्र की प्रमुख आबादी के साथ एकीकृत हैं। उपपरियोजना क्षेत्रों के जनजातीय समूह बाहरी समुदाय के साथ मुक्त रूप से अन्योन्यक्रिया करते हैं। ये समूह एकाकी परिवार हैं तथा परिवार नियोजन एवं औपचारिक शिक्षा जैसे नए विचारों के प्रति मुक्तभाव रखते हैं।

सामाजिक प्रभाव आकलनों से पुष्टि होती है कि उपपरियोजनाओं से उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक प्रभाव शेष आबादी की तुलना में इन लोगों के लिए भिन्न नहीं हैं। दो उपपरियोजनाओं के लिए दो संयुक्त पुनर्वास योजनाएं तथा स्वदेशी लोग योजनाएं तैयार की गई हैं। देशज लोगों पर प्रतिकूल प्रभावों के उपशमन हेतु यथेष्ट क्षतिपूर्ति प्रावधान किए गए हैं। एक देशज लोग योजना फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इस फ्रेमवर्क के अनुसार, यदि अनुवर्ती उपपरियोजनाओं में देशज लोगों पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव का पता लगेगा तो संबद्ध निष्पादक एजेन्सी एक देशज लोग योजना तैयार करेगी तथा एडीबी के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

एएच–02 तथा एएच–48 के तत्काल निकटस्थ निवासियों तथा अन्य सड़क प्रयोक्ताओं के 20 प्रतिशत, जिसमें 480 परिवार शामिल थे, का नमूना सर्वेक्षण; 33 फोकसित समूह चर्चाएं तथा स्टेकहोल्डर्स के साथ 38 मुख्य जानकारी साक्षात्कार संचालित किए गए। ऐसा परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जरूरतों और चिंताओं का पता लगाने और लाभ बढ़ाने तथा नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु भी किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

कार्यान्वयन की सम्पूर्ण अवधि में परामर्श कार्य जारी रहेगा। परियोजना क्षेत्रों में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। परियोजना क्षेत्रों में पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन, एचआईवी/एड्स तथा मानव तस्करी पर जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के संचालन में सरकार की सहायता के लिए सिविल सोसायटी अनुबंधित की जाएगी। इसमें विविध माध्यमों से परियोजना संबंधी जानकारी का प्रसार शामिल है।

वर्णन

अनुरोध किए गए पीएफआर के अधीन प्रस्तावित वित्तपोषण में (i) कुल लगभग 300 किलोमीटर सड़क उपपरियोजनाओं का समुन्नतन, जिसमें कार्यान्वयन सहायता शामिल है, को उनके महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभावों के कारण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तथा (ii) एमपीडब्ल्यूडी क्षमता विकास तथा कार्यान्वयन सहायता के वित्तपोषण हेतु सेक्टर ऋण की पद्धति अपनाई गई है।

परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबद्धता

सड़क उपपरियोजनाओं में (i) नेपाल, बंगलादेश तथा भारत को जोड़ने वाले एएच–2 का 37 किलोमीटर तथा भूटान, भारत और बंगलादेश को जोड़ने वाले एएच–48 का 97 किलोमीटर (ii) म्यांमार को जोड़ने वाली राज्य सड़कों का लगभग 180 किलोमीटर खंड शामिल है। पहली दो उपपरियोजनाओं (एएच–2 तथा एएच–48) का मूल्यांकन किया जा चुका है। अन्य सड़क उपपरियोजनाओं का मूल्यांकन एडीबी के अनुमोदन हेतु किश्त 1 के कार्यान्वयन के दौरान किया जाएगा, जिसके लिए चयन मानदंडों तथा अनुमोदन प्रक्रिया (एफएफए की अनुसूची 04 के अनुसार) का पालन किया जाएगा।

विकास प्रभाव

एनबी–एनईआर के माध्यम से घरेलू तथा क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
एनबी–एनईआर अंतरराष्ट्रीय व्यापार गलियारे की मार्ग संयोजकता तथा दक्षता में सुधार	–

आउटपुट्स तथा कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
क्षेत्रीय संयोजकता हेतु सड़कों में सुधार एमपीडब्ल्यूडी हेतु क्षमता में विकास तथा परियोना सुधार में सहायता	–
विकास उद्देश्यों की स्थिति	प्रचालन/निर्माण की स्थिति
–	–
महत्वपूर्ण परिवर्तन	
–	

व्यवसाय अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	6 फरवरी, 15
परामर्शी सेवाएं सभी परामर्शी सेवाएं परामर्शदाताओं के उपयोग के संबंध में एडीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रारंभ की जाएंगी।	
अधिप्राप्ति सामान तथा कार्यों की सभी अधिप्राप्ति एडीबी के अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।	
अधिप्राप्ति तथा परमर्शी सूचनाएं http://www.adb.org/projects/47341-002/business-opportunities	

समय सारणी

संकल्पना स्वीकृति	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंधन समीक्षा बैठक	31 जनवरी, 14
अनुमोदन	1 अप्रैल, 14

उपलब्धियां

अनुमोदन सं.	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभाविता	समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 3118	1 अप्रैल, 14	26 मार्च, 15	–	30 जून, 22	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एडीबी (हजार अमेरिकी डालर)	अन्य (हजार अमेरिकी डालर)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा अधिनिर्णय				
17 जून, 2015	ऋण 3118	0	0	0.00%
संचयी संवितरण				
17 जून, 2015	ऋण 3118	0	0	0.00%

उपसंविदाओं की स्थिति

उपसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं – लेखापरीक्षित लेखा, सुरक्षोपाय, सामाजिक, सेक्टर, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य। उपसंविदा अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड लागू करने द्वारा किया जाता है: (i) संतोषजनक – इस संवर्ग में सभी उपसंविदाओं का अनुपालन अधिकतम एक अपवाद के साथ किया जा रहा है; (ii) आंशिक रूप से संतोषजनक – अधिकतम दो उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; (iii) असंतोषजनक – तीन या अधिक उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर इस संवर्ग में रखी जाती हैं। लोक संचार नीति 2011 के अनुसार परियोजना वित्तीय प्रकथनों हेतु उपसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनका वार्ता हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल, 2012 के पश्चात का है।

अनुमोदन सं.	संवर्ग						
	सेक्टर	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षोपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण 3118	–	–	–	–	–	–	–

सम्पर्क और अद्यतनीकरण विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	सुनेयुकी सकाई (tsakai@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन तथा संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक एजेन्सी	–

लिंक्स

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/47341-002/main
परियोजना दस्तावेजों की सूची	http://www.adb.org/projects/47341-002/documents